International Journal of Multidisciplinary Trends

E-ISSN: 2709-9369
P-ISSN: 2709-9350
www.multisubjectjournal.com
IJMT 2021; 3(2): 109-114
Received: 14-05-2021
Accepted: 26-06-2021

डॉ0 वीना उपाध्याय
असि0प्रोफेसर–अर्थशास्त्र विभाग
करामत हुसैन महिला पी0जी0 कालेज लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत।

Corresponding Author:
डॉ0 वीना उपाध्याय
असि0प्रोफेसर–अर्थशास्त्र विभाग
करामत हुसैन महिला पी0जी0 कालेज लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत।

"महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)" का क्षेत्रीय समाजार्थिक विश्लेषणः जनपद सुल्तानपुर (उ०प्र०)

डॉ0 वीना उपाध्याय

सार
भारत की 72 फीसदी आबादी गांवों में रहती है. इसलिए भारत का विकास गांव के विकास पर निर्भर करता है। लेकिन ग्रामीण विकास की राह में कई समस्याएं और चुनौतियां हैं। ग्रामीण बेरोजगारी इनकी प्रमुख समस्याओं में से एक है। आजादी के बाद सरकार ने कई ग्रामीण रोजगार और विकास योजनाएं शुरू की हैं। अनेक कारणों से उपरोक्त सभी योजनाओं का लाभ गरीब लोग समुचित रूप से नहीं उठा सके, भारतीय संसद ने 2005 में एक क्रांतिकारी अनूठा अधिनियम यानी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) पारित किया। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) कर दिया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे को विकसित करके रोजगार की तलाश में ग्रामीण परिवारों के पलायन को रोकना और ग्रामीण लोगों की आजीविका सुरक्षा को निरंतर आधार पर बढ़ाना है। यह कार्यों की ग्राम स्तरीय योजना और सामाजिक लेखा परीक्षा के तंत्र पर केंद्रित है। यह योजना ग्राम सभा से लेकर केंद्र सरकार तक सहयोगात्मक भागीदारी के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।

कुटशब्दः महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी कार्यकम।

प्रस्तावना
एक कल्याणकारी राज्य की सफलता का आकलन इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि वहाँ सामाजिक–आर्थिक व्यवस्था के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के विकास को सुनिश्चित करने के लिये क्या प्रयास किये गए हैं। समग्र विकास की इस पृष्ठभूमि में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम अर्थात् मनरेगा ने महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि कृषि संकट और आर्थिक मंदी के दौर में मनरेगा ने ग्रामीण किसानों और भूमिहीन मज़दूरों के लिये एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य किया है। मौजूदा आर्थिक मंदी ने खासतौर पर देश के ग्रामीण क्षेत्रों को प्रभावित किया है और रोज़गार के अवसरों को काफी कम कर दिया है और मनरेगा के तहत मिलने वाले काम की मांग अचानक बढ़ गई है, जिसके कारण राज्यों के समक्ष बजट की चुनौती उत्पन्न हो गई है। वर्ष 2019–20 के लिये प्रस्तावित बजट में मनरेगा के लिये 60,000 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई थी। भारत एक विकासशील देश है। भारत की 72 फीसदी आबादी गांवों में रहती है. इसलिए भारत का विकास गांव के विकास पर निर्भर करता है। लेकिन ग्रामीण विकास की राह में कई समस्याएं और चुनौतियां हैं। ग्रामीण बेरोजगारी इनकी प्रमुख समस्याओं में से एक है। आजादी के बाद सरकार ने कई ग्रामीण रोजगार और विकास योजनाएं शुरू की हैं। सामुदायिक विकास योजना 2 अक्टूबर 1952 को गरीबों के एकीकृत विकास के लिए शुरू की गई थी। 1975 में गरीब लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए बीस सूत्रीय शुरू किया गया था। 1978 में ग्रामीण मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया गया था। 1979 में ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण देने के लिए ट्राइसेम कार्यक्रम शुरू किया गया था। 1982–83 में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए DWCRA (Development of Women And Children in Rural Area) ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों का विकास) शुरू किया गया था। 1 अप्रैल 1989 को ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई, जो दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार योजना है। 15 अगस्त 1992 को गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण कारीगरों के लिए उन्नत उपकरण किट की आपूर्ति के लिए SITRA (South Indian TeÛtile Research Association) कार्यक्रम शुरू किया गया था। 1 अप्रैल 1999 को एक नए स्वरोजगार कार्यक्रम को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के रूप में जाना जाता था, जिसमें पहले की सभी ग्रामीण रोजगार और विकास योजनाएं जैसे आईआरडीपी, ट्राइसेम, डीडब्ल्यूसीआरए, एसआईटीआरए, एमडब्ल्यूएस (मिलियन वेल स्कीम) जीकेवाई (गंगा कल्याण) योजना) का विलय 25 सितंबर 2001 को गरीब लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत कर दिया गया।

अनेक कारणों से उपरोक्त सभी योजनाओं का लाभ गरीब लोग समुचित रूप से नहीं उठा सके, भारतीय संसद ने 2005 में एक क्रांतिकारी अनूठा अधिनियम यानी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) पारित किया। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) और राष्ट्रीय कार्य के लिए भोजन कार्यक्रम (एनएफएफडब्ल्यूपी) के चल रहे कार्यक्रमों को नरेगा के भीतर समाहित कर दिया गया। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) कर दिया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे को विकसित करके रोजगार की तलाश में ग्रामीण परिवारों के पलायन को रोकना और ग्रामीण लोगों की आजीविका सुरक्षा को निरंतर आधार पर बढ़ाना है। अतीत में, भारत में सभी रोजगार कार्यक्रम उन गरीबों को लक्षित करते थे जिन्हें आम तौर पर गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य से पहचाना जाता था। मनरेगा मानव इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा सार्वजनिक रोजगार कार्यक्रम है और यह गरीबी उन्मूलन से परे है और रोजगार को कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता देता है। यह कानूनी प्रतिबद्धता भारत की गरीबी उन्मूलन रणनीतियों के इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना है। यह दुनिया में भी अनोखा कल्याणकारी कार्यक्रम है, क्योंकि दुनिया के किसी भी देश ने इतनी बड़ी आबादी को इस तरह का कानूनी अधिकार कभी नहीं दिया है। इस कानूनी अधिकार का तात्पर्य है कि निश्चित बजट आवंटन की बाधा अब रोजगार परिचारक की पात्रता को प्रभावित नहीं करेगी। मनरेगा उन ग्रामीण परिवारों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के मजदूरी रोजगार की गारंटी देता है जिनके वयस्क सदस्य ग्रामीण क्षेत्रों में अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं। यह अधिनियम 2 फरवरी 2006 को देश के 200 पिछड़े जिलों में लागू हुआ। 1 अप्रैल 2007 से इसे 130 और जिलों में विस्तारित किया गया। 1 अप्रैल 2008 से इस अधिनियम को सभी शेष 266 जिलों (शहरी जिलों को छोड़कर) में लागू कर दिया गया है। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया, बहुस्तरीय पारदर्शी सामाजिक लेखा परीक्षा, भागीदारी योजना, निगरानी और ग्रामीण स्तर पर कार्यान्वयन आदि के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण नागरिक की जमीनी स्तर की भागीदारी सुनिश्चित करता है। मनरेगा कोई कल्याणकारी कार्यक्रम नहीं है जो दान करता है। यह टिकाऊ उत्पादक संपत्तियों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण सार्वजनिक निवेश के साथ एक विकास पहल है जो विकास प्रक्रिया को गति देती है, ग्रामीण–शहरी प्रवास को रोकती है और ग्रामीण भारत के पिछड़े क्षेत्रों में ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाती है। यह कार्यों की ग्राम स्तरीय योजना और सामाजिक लेखा परीक्षा के तंत्र पर केंद्रित है। यह योजना ग्राम सभा से लेकर केंद्र सरकार तक सहयोगात्मक भागीदारी के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।

यह रोजगार गारंटी अन्य उद्देश्यों की पूर्ति भी कर सकती है जैसे उत्पादक संपत्ति पैदा करना, पर्यावरण की रक्षा करना, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना, ग्रामीण–शहरी प्रवास को कम करना और सामाजिक समानता को बढ़ावा देना। मनरेगा बुनियादी वेतन सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को रिचार्ज करने से लेकर लोकतंत्र की परिवर्तनकारी सशक्तिकरण प्रक्रिया तक समावेशी विकास के लिए परिस्थितियों को बढ़ावा देता है। यह अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश द्वारा लोकतंत्र के विकेन्द्रीकरण और गहन प्रक्रियाओं को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है। अपने अधिकार–आधारित ढांचे और मांग संचालित दृष्टिकोण के साथ, योजना, निगरानी और कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं को एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करना। अधिनियम में महिलाओं की 33प्रतिशत भागीदारी का भी प्रावधान है।

मनरेगा की प्रमुख विशेषताएँ

- पूर्व की रोज़गार गारंटी योजनाओं के विपरीत मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों के व्यस्क युवाओं को रोज़गार का कानूनी अधिकार प्रदान किया गया है।
- प्रावधान के मुताबिक, मनरेगा लाभार्थियों में एक–तिहाई महिलाओं का होना अनिवार्य है। साथ ही विकलांग एवं अकेली महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने का प्रावधान किया गया है।
- मनरेगा के तहत मज़दूरी का भुगतान न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम, 1948 के तहत राज्य में खेतिहर मज़दूरों के लिये निर्दिष्ट मज़दूरी के अनुसार ही किया जाता है, जब तक कि केंद्र सरकार मज़दूरी दर को अधिसूचित नहीं करती और यह 60 रुपए प्रतिदिन से कम नहीं हो सकती।
- प्रावधान के अनुसार, आवेदन जमा करने का 15 दिनों के भीतर या जिस दिन से काम की मांग की जाती है, आवेदक को रोज़गार प्रदान किया जाएगा।
- पंचायती राज संस्थानों को मनरेगा के तहत किये जा रहे कार्यों के नियोजन, कार्यान्वयन और निगरानी हेतु उत्तरदायी बनाया गया है।
- मनरेगा में सभी कर्मचारियों के लिये बुनियादी सुविधाओं जैसे – पीने का पानी और प्राथमिक चिकित्सा आदि के प्रावधान भी किये गए हैं।
- मनरेगा के तहत आर्थिक बोझ केंद्र और राज्य सरकार द्वारा साझा किया जाता है। इस कार्यक्रम के तहत कुल तीन क्षेत्रों पर व्यय किया जाता है –
  1. अकुशल, अर्द्ध–कुशल और कुशल श्रमिकों की मज़दूरी
  2. आवश्यक सामग्री
  3. प्रशासनिक लागत। केंद्र सरकार अकुशल श्रम की लागत का 100 प्रतिशत, अर्द्ध–कुशल और कुशल श्रम की लागत का 75%, सामग्री की लागत का 75% तथा प्रशासनिक लागत का 6% वहन करती है, वहीं शेष लागत का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

मनरेगा की उपलब्धियाँ

- मनरेगा दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक कल्याण कार्यक्रम है जिसने ग्रामीण श्रम में एक सकारात्मक बदलाव को प्रेरित किया है। आँकड़ों के अनुसार, कार्यक्रम के शुरुआती 10 वर्षों में कुल 3.14 लाख करोड़ रुपए खर्च किये गए।
- इस कार्यक्रम ने ग्रामीण गरीबी को कम करने के अपने उद्देश्य की पूर्ति करते हुए यकीनन ग्रामीण क्षेत्र के लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की है।
- आजीविका और सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से मनरेगा ग्रामीण गरीब महिलाओं के सशक्तीकरण हेतु एक सशक्त साधन के रूप में सामने आया है। आँकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2015–16 में मनरेगा के माध्यम से उत्पन्न कुल रोज़गार में से 56 प्रतिशत महिलाओं के लिये था।
- आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2013–14 में मनरेगा के तहत कार्यरत व्यक्तियों की संख्या 7.95 करोड़ थी जो कि वर्ष 2014–15 में घटकर 6.71 करोड़ रह गई, किंतु उसके बाद यह बढ़कर क्रमशः वर्ष 2015–16 मे 7.21 करोड़, वर्ष 2016–17 में 7.65 करोड़ तथा वर्ष 2018–19 में 7.76 करोड़ हो गई।
- मनरेगा में कार्यरत व्यक्तियों के आयु–वार आँकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2017–18 के बाद 18–30 वर्ष के आयु वर्ग के श्रमिकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है।

- मनरेगा ने आजीविका के अवसरों के सृजन के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान में भी मदद की है। मनरेगा को 2015 में विश्व बैंक ने दुनिया के सबसे बड़े लोकनिर्माण कार्यक्रम के रूप में मान्यता दी थी।
- नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (NCAER) की रिपोर्ट के मुताबिक, गरीब व सामाजिक रूप से कमज़ोर वर्गों, जैसे–मज़दूर, आदिवासी, दलित एवं छोटे सीमांत कृषकों के बीच गरीबी कम करने में मनरेगा की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है।

जनपद सुलतानपुर की ग्रामपंचायतों में मनरेगा कार्य

जनपद सुल्तानपुर की उत्तरी सीमा पर फ़ैज़ाबाद एवं अम्बेडकरनगर, उत्तर पश्चिम मे बाराबंकी, पूरब मे जौनपुर व आजमगढ़, पश्चिम मे अमेठी व दक्षिण मे जिला प्रतापगढ़ स्थित है। जनपद मे बहनेवाली नदी गोमती नदी प्रकृतिक दृष्टि से जनपद को दो भागो मे बाटती है। गोमती नदी उत्तर पश्चिम के समीप इस जिले मे प्रवेश करती है और टेठी मेढ़ी बहती हुई दक्षिण पूर्व द्वारिका के निकट जौनपुर मे प्रवेश करती है। इसके अतरिक्त यहा गभड़िया नाला, मझुई नाला, जमुरया नाला, तथा भट गाव ककरहवा, सोभा महोना आदि झीले है ।जनपद की भूमि मुख्य रूप से मटियार है। प्रशासनिक दृष्टि से जनपद सुल्तानपुर पांच तहसील दृ सदर, बल्दीराय, जयसिंहपुर, कादीपुर और लंभुवा है व 14 विकास खंड दृ अखंड नगर, दोस्तपुर, करौदी कला, कादीपुर, मोतिगरपुर, जयसिंहपुर, कुरेभार, प्रतापपुर कमैचा, लंभुवा, भदैया, दूबेपुर, धनपतगंज, कुड़वार व बल्दीराय तथा 986 ग्राम पंचायतें है। जनपद सुल्तान पुर में मनरेगा योजना के तहत कुछ गांवों में गरीबों को रोजगार मुहैया कराने का काम सन्तोष जनक नहीं है। जनपद के 986 ग्रामपंचायतों में केवल 626 गांवों में ही मनरेगा कार्य चल रहा है। 360 गांवों में मनरेगा का कार्य ठप होने से मजदूरों को रोजगार के लिए शहर जाना पड़ता है।

मनरेगा में कार्यरत आयुवार व्यक्ति (वित्तीय वर्ष – 2021–2022)

क्रम सं0	ग्राम पंचायतें	आयुवार नियोजित व्यक्ति					
		18.30 कार्यरत व्यक्ति	31.40 कार्यरत व्यक्ति	41.50 कार्यरत व्यक्ति	51.60 कार्यरत व्यक्ति	61.80 कार्यरत व्यक्ति	80 से अधिक कार्यरत व्यक्ति
1	2	4	6	8	10	12	14
1	अहिरी फिरोजपुर	6.94	52.78	20.83	12.5	6.94	0
2	अलाउद्दीनपुर	6.25	25.78	19.92	12.11	7.42	0.39
3	अलीमुद्दीनपुर	3.1	9.58	5.92	5.63	3.66	0
4	अलीपुर कानपुर	1.9	6.75	10.34	4.64	1.27	0.21
5	अनिरुद्धपुरी	0	0	0	0	0	0
6	बलुआ	0	0	0	0	0	0
7	बनबहा सिरखिनपुरी	1.02	9.14	11.9	5.22	3.63	0.29
8	बनगवा डीहः	1.12	4.84	5.46	2.23	0.87	0
9	बारामदपुरी	0.97	4.2	3.88	2.48	1.62	0
10	बरोरा ख्वाजापुरी	0.1	3.9	2.53	1.85	1.17	0
11	बेहरा भारी	0.78	3.84	3.57	1.66	0.7	0
12	बेलवई माधवपुरी	4.84	5.06	2.6	1.71	0.45	0
13	भेलरा	1.74	2.61	6.72	2.36	2.99	0
14	भिउरा	0	0	0	0	0	0
15	ब्रह्मपुरी	0.06	1.87	1.4	1.57	1.34	0
16	दसौपुरी	0.28	1.02	1.07	0.45	0.34	0.06
17	धरमपुर	0.54	1.41	1.57	0.54	0.05	0
18	डोमपुरी	0.72	1.03	2.21	0.67	0.26	0
19	फरीदपुर	0.68	1.69	2.51	1.01	0.24	0.05
20	घाटमपुर	0	0	0	0	0	0
21	गिधौना	0	0	0	0	0	0
22	गोलहनपरा	0	0	0	0	0	0
23	हाजीपुर बिरी	0.62	1.83	2.23	1.78	1.25	0
24	हकीमपुर	0.44	0.87	0.35	0.13	0	0.04
25	हरपुरी	0.08	1.01	2.14	0.38	0.5	0
26	हरथुआ बभनपुरी	0.69	0.97	0.97	0.73	0.08	0
27	हसनपुर तानी	0.31	1.55	1.32	0.54	0.62	0.04
28	जगदीशपुरी	0.08	0.27	0.38	0.12	0.08	0
29	जगदीशपुर	0.07	0.86	0.97	0ण्37	0ण्07	0
30	जलालपुर कैथी	0.15	1.56	0.98	0.15	0.15	0
31	जौनारस	0.38	1.25	1.6	0.91	0.03	0
32	कलाँ	0	0.14	0.62	0.24	0.03	0
33	कल्याणपुरी	0.67	1.17	1.07	0.47	0.07	0

34	कामिया बहादुरदीनपुरी	0	0	0	0	0	0
35	कनकपुरी	0	0.43	0.53	0.07	0.03	0
36	कराई	0	0	0	0	0	0
37	खानपुर पिलाई	0ण्1	1.19	0.64	0.51	0.19	0.03
38	कुंडा भैरोपुरी	0ण्49	1.23	1.32	0.77	0.22	0
39	लोकनाथपुरी	0.18	0.39	0.73	0.39	0.06	0
40	लोरपुरी	0.12	0.33	0.27	0.18	0	0
41	महमदपुरी	0.06	0.15	0.24	0.21	0.18	0
42	मारुई किशुनदासपुरी	0.17	1.0	1.49	0.63	0.46	0
43	मसूरी	0.17	0.62	0.59	0.11	0.08	0
44	मीरपुर प्रतापपुरी	0.62	0.83	2.04	1.04	0.32	0
45	मिशीरपुर ढाकाहा	0.08	1.11	1.19	0.78	0.1	0
46	मिसिरपुर जलालपुरी	0.25	1.23	1.05	0.48	0.13	0
47	मुरादाबाद	0.44	0.66	0.52	0.27	0.32	0
48	नगरी	0.29	0.89	0.67	0.34	0.07	0
49	नारायणपुर कला	0.87	1.46	1.41	0.78	0.34	0.02
50	नरवारी	0.53	1.35	0.75	0.38	0.29	0
51	पहाड़पुर बस्तीपुर	0.07	0.65	0.72	0.04	0.02	0
52	पारा बसुपुरी	0.13	0.66	0.64	0.34	0.26	0
53	पसिया पारा	0.04	0.17	0.69	0.27	0.08	0
54	पातर खासी	0.51	0.51	0.78	0.39	0.27	0
55	पतजू पहाड़पुरी	0.12	0.54	0.73	0.16	0.04	0
56	पौधन रामपुरी	0.12	0.44	0.44	0.26	0	0
57	पिपरी पट्टी	0.06	1.08	1.1	0.87	0.17	0.02
58	प्राणनाथपुर बछरिया	0.11	0.34	0.55	0.17	0.11	0
59	रायपुर	0.44	0.19	1.45	0.3	0.17	0
60	रतनपुरी	0	0	0	0	0	0
61	रूपाईपुरी	0.17	0.15	0.55	0.13	0.04	0
62	संघिया	0	0	0	0	0	0
63	सहतपुरी	0	0	0	0	0	0
64	सजमपुर	0.22	0.36	0.42	0.07	0.04	0
65	संसारपुर	0.05	0.39	0.45	0.16	0.16	0
66	सरैया मुबारकपुरी	0.09	0.23	0.14	0.05	0.07	0
67	सरावनी	0.04	0.26	0.28	0.28	0.05	0
68	सेल्हू पारा	0.56	0.63	1.87	0.48	0.22	0
69	तजुद्दीनपुर	0.18	1.11	0.94	0.56	0.12	0
70	टिकरी	0.18	0.84	0.8	0.76	0.06	0
71	उडरी	0	0.46	0.47	0.4	0.21	0
72	उमरी	0	0	0	0	0	0
73	उनुरुखा	0	0.25	0.36	0.25	0.11	0
74	वारी सहिजन	1.07	1.86	0.66	0.35	0.11	0.02
	कुल	10.7	30.82	34.19	16.49	7.62	0.18

जिले में मनरेगा योजना के तहत दो लाख से अधिक लोगों को जॉबकार्ड जारी किया गया था लेकिन 50 प्रतिशत जॉव कार्ड धारक सक्रिय है। केवल 626 ग्रामपंचायतों में मनरेगा योजना के तहत कार्य चल रहा है। जिसमे 15926 मजदूर काम पर लगे है। निम्न सारिणी से स्पष्ट है कि सबसे अधिक 34.19% 41 से 50 वर्ष के लोग कार्यरत हैं- 31 से 40 वर्ष के युवा वर्ग शहरी प्रभाव के कारण आज भी रोजगार की तलास में नगरोंमुख रहते हैं। - मात्र 30.82% मनरेगा में कार्यरत हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) 2005 सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जो गरीबों की जिंदगी से सीधे तौर पर जुड़ा है और जो व्यापक विकास को प्रोत्साहन देता है। यह अधिनियम विश्व में अपनी तरह का पहला अधिनियम है जिसके तहत अभूतपूर्व तौर पर रोजगार की गारंटी दी जाती है। इसका मकसद है ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढाना। इसके तहत हर घर के एक वयस्क सदस्य को एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार दिए जाने की गारंटी है। यह रोजगार शारीरिक श्रम के संदर्भ में है और उस वयस्क व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जो इसके लिए राजी हो। इस अधिनियम का दूसरा लक्ष्य यह है कि इसके तहत टिकाऊ परिसम्पत्तियों का सृजन किया जाए और ग्रामीण निर्धनों की आजीविका के आधार को मजबूत बनाया जाए। इस अधिनियम का मकसद सूखे, जंगलों के कटान, मृदा क्षरण जैसे कारणों से पैदा होने वाली निर्धनता की समस्या से भी निपटना है ताकि रोजगार के अवसर लगातार पैदा होते रहें। जनपद सुल्तानपुर में विभिन्न वित्तीय वर्षों में मनेरेगा में कार्यरत मजदूरों तथा कुल बजट आदि का विवरण निम्न तालिका से स्पष्ट है।

मनेरेगा में कार्यरत मजदूरों तथा कुल बजट (जनपद सुल्तानपुर उ0प्र)

ब्लॉकों की कुल संख्या					14
ग्राम पंचायतों की कुल संख्या					986
जारी किए गए जॉबकार्डों की कुल संख्या (लाखों में)					4.72
श्रमिकों की कुल संख्या (लाखों में)					5.95
सक्रिय जॉब कार्डों की कुल संख्या (लाखों में)					2.47
सक्रिय कामगारों की कुल संख्या (लाखों में)					2.92
सक्रिय कार्यकर्ताओं के अनुपात में अनुसूचित जाति कार्यकर्ता %					30.06
एसटी कार्यकर्ता सक्रिय श्रमिकों के खिलाफ %					0.26
द्वितीय प्रगति	**वित्त वर्ष 2021-.2022**	**वित्त वर्ष 2020-.2021**	**वित्त वर्ष 2019-.2020**	**वित्त वर्ष 2018-.2019**	**वित्त वर्ष 2017-.2018**
स्वीकृत श्रम बजट (लाखों में)	45.88	80.42	38.88	30.59	27.35
अब तक जनरेट किए गए व्यक्ति (लाखों में)	42.39	71.6	41.06	39.75	32.85
कुल लेबर का %	92.39	89.03	105.61	129.92	120.1
एससी व्यक्ति दिवस % कुल दिवसों के रूप में	35.32	28.08	23.36	27.92	30.23
कुल व्यक्ति दिवसों के रूप में एसटी व्यक्ति%	0.36	0.2	0.24	0.23	0.18
कुल में से महिला दिवस %	47.69	38.79	39.59	40.23	38.51
प्रति परिवार रोजगार के औसत दिन	37.06	45.61	50.84	46.09	40.26
प्रति व्यक्ति प्रति दिन औसत मजदूरी दर (रु.)	203.64	200.79	181.97	174.99	174.97
रोजगार के 100 दिन पूरे करने वालों की संख्या	3,185	14,998	2,079	784	484
काम करने वाले कुल परिवार (लाखों में)	1.14	1.57	0.81	0.86	0.82
कुल व्यक्तियों ने काम किया (लाखों में)	1.32	1.8	0.9	0.99	0.96
विकलांग व्यक्तियों ने काम किया	175	192	95	120	125
तृतीय कार्य					
शून्य व्यय वाले ग्राम पंचायतों की संख्या	4	0	0	2	1
किए गए कार्यों की कुल संख्या (लाखों में)	0.64	0.52	0.32	0.47	0.38
चल रहे कार्यों की संख्या (लाखों में)	0.46	0.37	0.14	0.18	0.3
पूर्ण किए गए कार्यों की संख्या	17,682	14,962	17,597	28,944	7,444
एनआरएम व्यय का % (सार्वजनिक + व्यक्तिगत)	37.9	60.2	48.49	29.77	36.06
श्रेणी बी कार्यों का %	75.22	62.28	68.02	79.14	73
कृषि और कृषि संबद्ध कार्यों पर व्यय का %	71.83	59.72	61.19	48.49	56.25
चतुर्थ वित्तीय प्रगति					
कुल व्यय (लाख रुपये में।)	12,419.54	22,162.77	10,500.81	11,974.23	9,143.01
मजदूरी (लाख रुपये में)	8,490.07	14,256.85	7,626.4	7,204.82	5,942.23
सामग्री और कुशल मजदूरी (रु लाख में)	3,849.83	7,748.34	2,071.25	3,828.83	2,728.68
समग्री (%)	31.2	35.21	21.36	34.7	31.47
कुल प्रशासनिक व्यय (लाख रुपये में)	79.63	157.58	803.16	940.58	472.1
व्यवस्थापक व्यय (%)	0.64	0.71	7.65	7.86	5.16
प्रति व्यक्ति औसत लागत प्रति दिन (रुपये में)	261.71	280.18	189.25	255.4	229.04
ईएफएमएस के माध्यम से कुल व्यय का %	100	99.97	99.87	100	100
15 दिनों के भीतर भुगतान %	97.23	98.29	99.66	85.85	53.21

पारदर्शिता और जनता के प्रति उत्तरदायित्व का निर्वाह तथा सामाजिक लेखाजोखा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का महत्त्वपूर्ण पक्ष है। जनपद सुल्तान पुर में मनरेगा के संदर्भ में सामाजिक लेखाजोखा में निरंतर सार्वजनिक निगरानी और परिवारों के पंजीयन की जांच, जॉब कार्ड का वितरण, काम की दरख्वास्तों की प्राप्ति, तारीख डाली हुई पावतियों को जारी करना, परियोजनाओं का ब्योरा तैयार करना, मौके की निशानदेही करना, दरख्वास्त देने वालों को रोजगार देना, मजदूरी का भुगतान, बेरोजगारी भत्ते का भुगतान, कार्य निष्पादन और मास्टर रोल का रखरखाव सुनिश्चित किया जाता हैं।

जनपद में रोजगार के निम्न सहायक कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जाता है :–

- रोजगार चाहने वालों का आवेदन प्राप्त करना व आवेदन का सत्यापन करना।
- सत्यापन उपरांत पंजीकरण का कार्य करना।
- जॉब कार्ड जारी करना।
- पंचायत क्षेत्र में कार्य मांगने वालों के आवेदन स्वीकार करना।
- निर्धारित अवधि में कार्य मांगने वालों के आवेदन स्वीकार करना।
- कार्य पर लगे श्रमिकों के लिए मस्ट्रोल संधारण करना।
- ग्राम पंचायत में प्राप्त राशि का लेखा जोखा रखना।
- कार्य पर लगे श्रमिकों के जॉबकार्ड में इंद्राज करना।
- ग्राम सभाओं का आयोजना करना।

- योजनांतर्गत ग्राम पंचायत क्षेत्रों की वार्षिकी योजना तैयार करना।
- वार्षिक कार्य योजना का ग्राम सभा एवं पंचायत से अनुमोदन प्राप्त कार्यक्रम अधिकारी को प्रेषित करना।
- योजनांतर्गत प्रचार प्रसार के लिए मुख्य मुख्य स्थानों पर दीवार पेंटिंग करवाना।
- योजनांतर्गत समस्त प्रकार के रिकॉर्ड का कम्प्यूराईजेशन करवाना।
- निर्धारित अवधि में भुगतान सुनिश्चित करना।
- सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरान्त निर्धारित शुल्क जमा कर सूचना उपलब्ध करवाना।
- सामाजिक अंकेक्षण करवाना।
- अन्य कार्य जो पंचायत स्तर पर योजना के क्रियान्वय हेतू आवश्यक है का संपादन करना।
- असफल मेटों को हटाकर दूसरे मेटों को लगाना तथा प्रशिक्षण दिलवाना।

सन्दर्भ

1. Shariff A. "Assessment of outreach and benefits of National Rural Employment Guarantee Scheme of India", The Indian Journal of Labor Economics. 2009;52(2):243.
2. Khera R, Nayak N. "Women workers and perceptions of the national rural employment guarantee act." EPW 2009;14:43.
3. Chakraborty P. "Implementation of employment guarantee: A preliminary appraisal" Economic & Political Weekly February. 2007;17:48.
4. National Rural Employment Guarantee Act (NREGA). Government of India Ministry of Rural Development
5. National Rural Employment Guarantee Act, 2005 guidelines, 2006.
6. Maulic B. Implications of NREGA- District Barabanki, Uttar Pradesh: A Case Study: Kurukshetra, A Journal on Rural Development. 2009;58(2):35.
7. Hazra A. Transforming Rural India: Kurukshetra, A Journal on Rural Development. 2009;58(2):7.
8. Azam M. 'The Impact of Indian Job Guarantee Scheme on Labour Market Outcomes: Evidence from A Natural Experiment', 10 October 2011, available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1941959.
9. Engler M, S Ravi. 'Workfare as an Effective Way to Fight Poverty: The Case of India's NREGS', Social Science Research Network: 2012, http://ssrn.com/paper=1336837, accessed on 14 June.
10. https://nrega.nic.in/netnrega/home.aspx
11. https://mnregaweb2.nic.in/netnrega/homestciti.aspx?state_name=u.p
12. https://mnregaweb4.nic.in/netnrega/dpc_sms_new.aspx?lflag=eng&page=b&state_name=Uttar+Pradesh&state_code=31&district_name=Sultanpur